न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या 18/2021 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/86

श्री रमेश वैष्णव पुत्र श्री गिरधारी वैष्णव निवासी–364, सोलंकियों की घाटी, रावजी का हाटा, जिला उदयपुर (राज.)

–– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला–उदयपुर

–– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मावली दिनांक 22.02.2021 प्र.स. 07/2020

उपस्थित : 1. श्री चेतन प्रकाश पालीवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 15/07/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी श्री रमेश वैष्णव पुत्र श्री गिरधारी वैष्णव निवासी–364, सोलंकियों की घाटी, रावजी का हाटा, जिला उदयपुर (राज.) के घर के अन्दर चारभुजानाथ का मन्दिर है व उसके साथ 6 बीघा 2 बिस्वा जमीनं पटवार मण्डल गुडली, गांव–तुलसी दास जी की सराय के अंतर्गत है, जिसका खसरा नंबर 313 व 314 है, जिसका उपयोग स्वयं अपीलार्थी मन्दिर की सेवा में खेतीबाड़ी के लिए करता है। यह भूमि मुझ अपीलार्थी को अपनी नानीजी स्व. श्रीमती सायरबाई के द्वारा वसीयत से दिनांक 24.04.2009 को प्राप्त हुई जिनका स्वर्गारोहण दिनांक 26.05.2015 को हो गया, जिसके पश्चात् उनकी अंतिम वसीयत यह वसीयत ही थी। इस कारण से अपीलार्थी ने उक्त मंदिर पुजा व भूमि के उपयोग के लिए पुजारी के लिए नामान्तरकरण करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार–मावली में प्रेषित किया। जिस पर तहसीलदार मावली ने मेरे प्रार्थना पत्र की सही रूप से जांच नहीं की, जबकी मैंने वसीयत संलग्नं की थी। मेरी नानीजी स्व. श्रीमती सायरबाई के स्वर्गारोहण के पश्चात् मंदिर की पूजा व

जिला कलक्टर
उदयपुर

देखरेख का कार्य मेरे परिवार द्वारा ही किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। नये पुजारी के रूप में अपीलार्थी का परिवार उक्त मंदिर के सेवक व भूमि पर कृषि का कार्य हिजारीदार के द्वारा करवा रहा है। अपीलार्थी को यदि उक्त भूमि का नामान्तरकरण (पुजारी रजिस्ट्रर आदेशानुसार पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) नहीं किया गया तो जीवन यापन का कोई जरिया नहीं रहेगा क्योंकि उक्त भूमि से होने वाली फसल से अपीलार्थी का जीवन यापन या उसकी जरूरतों की आपूर्ति हो रही है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खातेदार का अधिकार मांगने का अंकन कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया परन्तु मुझ अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वसीयत की पालना में पुजारी की हैसियत से राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) दिनांक 12.09.2018 की पालना में प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के नाम अंकन करवाने के लिए प्रस्तुत किया था व उक्त राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3(2)राज 6/2007/पार्ट/5) दिनांक 12.09.2018 भी संलग्न किया था परन्तु तहसीलदार मावली ने बिना किसी औचित्य व बिना प्रार्थना पत्र पढ़े व दस्तावेज को देखे बिना आनन–फानन में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जिला कलक्टर(भू.अ.) उदयपुर ने पत्र क्रमांक प–9/भू.अ./20/3653–54 दिनांक 07.08.2020 को तहसीलदार मावली को नियमानुसार कार्यवाही का आदेश दिया था परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त पत्र की भी पालना नहीं की गई और ना ही निर्णय में उक्त पत्र का अंकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्णय से अपीलार्थी के पूजा के अधिकार का हनन हुआ है। दिनांक 13.12.1991 की राजस्थान सरकार के द्वारा मंदिर माफी/देव मूर्ति भूमि जमाबंदी से पुजारी का विलोपित कर दिया था उसके पश्चात् राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र (पुजारी रजिस्ट्रर आदेशानुसार पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) के अनुसार भी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त मंदिरों के पुजारी के नाम या सेवादार के नामों को लिस्ट रजिस्टर में शामिल करने का आदेश दिया गया है। उक्त पत्र की पालना करवाने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा पुनः दिनांक 08.10.2020 पत्र क्रमांक प.3(20)राज.–6/2020 के विषय राजस्व विभाग के परिपत्र प.3(20)राज.–6/2020 का आदेश पूर्ण दिया था। तहसीलदार मावली ने पटवार हल्का गुडली से रिपोर्ट प्राप्त

जिला कलक्टर
उदयपुर

की जिस पर रिपोर्ट में भी उक्त भूमि पर मेरे परिवार द्वारा नियुक्त सिराजेदार वेणीराम पिता वाली डांगी निवासी–तुलसीदास जी की सराय द्वारा सिजारे के रूप में काश्त करना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार मावली के द्वारा अपने आदेश में मेरे भाई श्री राजेश वैष्णव की वसीयत का जिक्र किया गया है, परन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत वसीयत मेरी नानीजी स्व. श्रीमती सायरबाई की अंतिम वसीयत है। तहसीलदार मावली ने अपने निर्णय में भूमि को चारभुजानाथ मंदिर की स्वीकार की परन्तु पुजारी के रूप में नामान्तरकरण (पुजारी रजिस्ट्रर आदेशानुसार पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) के लिए अस्वीकार कर दिया जिसका मैं विधि के अनुसार हक रखता हूँ। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ तहसीलदार मावली के आदेश को अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को पुजारी के रूप में नामान्तरकरण (पुजारी रजिस्ट्रर आदेशानुसार पत्र क्रमांक 3(2)राज. –6/2007/पार्ट/5) करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी गांव रावजी का हाटा का निवासी होकर घर के अन्दर चारभुजानाथ का मंदिर है। जिसके साथ पटवार मण्डल गुडली गांव तुलसीदास जी की सराय की 6 बीघा 2 बिस्वा स्थित होकर खसरा संख्या 313 व 314 है, जिसका उपयोग अपीलार्थी स्वयं मंदिर की सेवा में खेतीबाड़ी के लिए करता है। अपीलार्थी को उक्त जमीन अपनी स्व. नानीजी श्रीमती सायरबाई द्वारा जरिये वसीयत दिनांक 24.04.2009 को प्राप्त हुई। इस कारण से अपीलार्थी ने उक्त मंदिर की पूजा व भूमि के उपयोग के लिए पुजारी के लिए नामान्तरकरण करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मावली में प्रेषित किया। जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र की सही रूप से जांच नहीं की एवं अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खातेदार का अधिकार मांगने का अंकन कर निरस्त कर दिया परन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वसीयत की पालना में पुजारी की हैसियत से राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/ पार्ट/5) दिनांक 12.09.2018 की पालना में प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के नाम अंकन करवाने के लिए प्रस्तुत किया था व

जिला कलक्टर
उदयपुर

उक्त राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) दिनांक 12.09.2018 भी संलग्न किया था परन्तु तहसीलदार मावली ने बिना किसी औचित्य व बिना प्रार्थना पत्र पढ़े व दस्तावेज को देखे बिना आनन–फानन में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जिला कलक्टर(भू.अ.) उदयपुर ने पत्र क्रमांक प–9/भू.अ./20/3653–54 दिनांक 07.08.2020 को तहसीलदार मावली को नियमानुसार कार्यवाही का आदेश दिया था परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त पत्र की भी पालना नहीं की गई और ना ही निर्णय में उक्त पत्र का अंकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्णय से अपीलार्थी के पूजा के अधिकार का हनन हुआ है। दिनांक 13.12.1991 की राजस्थान सरकार के द्वारा मंदिर माफी/देव मूर्ति भूमि जमाबंदी से पुजारी का विलोपित कर दिया, जिसके पश्चात् राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र (पुजारी रजिस्ट्रर आदेशानुसार पत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/पार्ट/5) के अनुसार राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त मंदिरों के पुजारी के नाम या सेवादार के नामों को लिस्ट रजिस्टर में शामिल करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार मावली ने पटवार हल्का गुडली से रिपोर्ट प्राप्त की जिस पर रिपोर्ट में भी उक्त भूमि पर मेरे परिवार द्वारा नियुक्त सिजारेदार वेणीराम पिता वाला डांगी द्वारा सिजारे के रूप में काश्त करना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार मावली के द्वारा अपने आदेश में मेरे भाई श्री राजेश वैष्णव की वसीयत का जिक्र किया गया है परन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत वसीयत मेरी नानीजी की अंतिम वसीयत है। तहसीलदार मावली ने अपने निर्णय में भूमि को चारभूजानाथ मंदिर की स्वीकार की परन्तु पुजारी के रूप में नामान्तरकरण के लिए अस्वीकार कर दिया जिसका अपीलार्थी विधि के अनुसार हक रखता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को पुजारी के रूप में नामान्तरकरण करने का आदेश फरमाया जावे।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी संख्या 313 एवं 314 किता 2 रकबा 6.03 बीघा भूमि चारभुजाजी स्थानदेह खातेदार दर्ज है। देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 अनुसार (1) वसीयत करने के लिए अभिधारी की 'स्वीय विधि' (Personal Law) लागू होगी और (2) एक

जिला कलक्टर
उदयपुर

खातेदार अभिधारी ही वसीयत कर सकेगा अर्थात अन्य अभिधारी वसीयत नहीं कर सकेंगे। मन्दिर के पुजारी की मृत्यु पर उत्पन्न उतराधिकार के विवाद का हल किस प्रकार होगा यह पूर्णतया दिवानी मामला है, जो केवल दिवाली न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं ना कि यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अतः तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश नियमानुसार होने से अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त सम्पति के संबंध में दो वसीयत की गई है प्रथम वसीयत 03.06.2004 को श्री राजेश वैष्णव पुत्र श्री गिरधारी दास वैष्णव के हक में निष्पादित की गई है जो रजिस्टर्ड है। द्वितीय वसीयत दिनांक 24.04.2009 को श्री कैलाश पिता मुरलीधर वैष्णव, श्री राजेश वैष्णव पिता गिरधारी दास एवं श्री रमेश वैष्णव पिता गिरधारी दास के पक्ष में निष्पादित की गई है, जो अनरजिस्टर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में श्री राजेश वैष्णव द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। अपील में वर्णित भूमि ग्राम तुलसीदास जी की सराय में स्थित होकर खातेदार श्री चारभुजा जी स्थानदेह है। मन्दिर माफी/देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। देवमूर्ति एक शाश्वत् अवयस्क है, मन्दिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जायेगी तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकार के विवाद का हल किस प्रकार होगा यह पूर्णतया दीवानी मामले है जो केवल दीवानी न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण संख्या 07/20 में दिनांक 22.02.2021 को पारित निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर